इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई 2011—आषाढ़ 31, शक 1933

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल
पंचम तल, बिट्टन मार्केट, भोपाल – 462 016

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई, 2011

क्रमांक : 2100 म.प्र.विनिआ – 2011 – विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 (2) (जेडए) सहपठित धारा 57 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र की अधिसूचना दिनांक 28.10.2005 द्वारा अधिसूचित "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुपालन मानदण्ड) विनियम 2004 (पुनरीक्षण प्रथम, 2005) में निम्न संशोधन करता है :

"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुपालन मानदण्ड) विनियम 2004 (पुनरीक्षण प्रथम, 2005) में चतुर्थ संशोधन

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :** 1.1 ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुपालन मानदण्ड) विनियम 2004 (पुनरीक्षण प्रथम, 2005) (चतुर्थ संशोधन) (क्रमांक एआर.जी.–8 (i) (iv), वर्ष 2011)"** कहलाएंगे ।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की तिथि से तत्काल प्रभावशील होंगे ।

1.3 इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा ।

3. **विनियम 15 में संशोधन :**

(i) **मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुपालन मानदण्ड) विनियम 2004 (पुनरीक्षण प्रथम, 2005),** जिसे इसके बाद **प्रधान विनियम** कहा जाएगा, के **अनुच्छेद 15.1** को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"15.1 यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी इस विनियम में विनिर्दिष्ट मानदण्डों की पूर्ति करने में विफल रहता है, तो ऐसी दशा में बिना किसी भेदभाव के, उस पर जो भी अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाए, तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रभावित उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति का भुगतान, **उपभोक्ता से दावे की प्रतीक्षा किये बगैर,** देयक में छूट (रिबेट) के माध्यम से करना होगा । यह छूट अनुसूची 'अ' में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट दर के अनुसार ऐसे उपभोक्ताओं को, जिन्होंने पिछले छः माह के दौरान अपने देयकों का नियमित रूप से भुगतान किया है, को ही प्रदान की जाएगी । वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रभावित व्यक्ति(यों) को अनुपालन मानदण्ड की पूर्ति का प्रतिपालन न किये जाने की तिथि से 90 दिवस के अन्दर क्षतिपूर्ति करेगा ।"

(ii) प्रधान विनियमों में, **अनुच्छेद 15.8** की अनुसूची 'अ' को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

15.8 अनुसूची – 'अ'

अनुपालन के प्रत्याभूतित एवं प्रत्येक प्रकरण में त्रुटि हेतु उपभोक्ताओं को देय क्षतिपूर्ति का स्तर

सेवा क्षेत्र	मानदण्ड (विस्तृत विवरण हेतु संबद्ध अध्याय में भी देखें)	प्रभावित उपभोक्ता को देय क्षतिपूर्ति राशि
(i) सामान्य फ्यूज ऑफ काल पर अनुक्रिया तथा सुधार कार्य		
शहर तथा नगर	कार्य दिवसों में 4 घंटों के अन्दर तथा अकार्य दिवसों में 5 घंटों के अन्दर	शिकायत के सुधार में विलंब होने पर, रू. 100 प्रति दिवस (अथवा उसका अंश)
ग्रामीण क्षेत्र	24 घंटों के अन्दर	
(ii) लाईन अवरोध के कारण विद्युत प्रदाय की पुर्नस्थापना (खंबों (पोल) का टूटना व उखड़ना असम्मिलित)		
शहर तथा नगर	दिन के प्रकाश में, 12 घंटों के अन्दर	विद्युत प्रदाय की पुनर्स्थापना किये जाने तक विलंब होने पर रू. 100 प्रति दिवस (अथवा उसका अंश)
ग्रामीण क्षेत्र	तीन दिवस के अन्दर	
(iii) वितरण ट्रांसफार्मर के विफल होने पर		
संभागीय मुख्यालयों में, ट्रांसफार्मर बदला जाना अथवा विद्युत प्रदाय की पुनर्स्थापना करना	12 घंटे के अन्दर	विशिष्ट ट्रांसफार्मर के माध्यम से सेवाकृत समस्त उपभोक्ताओं को, प्रति उपभोक्ता रू. 100/– की दर से
संभागीय मुख्यालयों को छोड़कर, शहरी क्षेत्रों में, ट्रांसफार्मर बदला जाना अथवा विद्युत प्रदाय की पुनर्स्थापना करना	24 घंटे के अन्दर	
ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर बदला जाना अथवा विद्युत प्रदाय की पुनर्स्थापना करना	शुष्क मौसम के दौरान 72 घंटे के अन्दर तथा मानसून के मौसम के दौरान (माह जुलाई से सितम्बर तक) सात दिवस के अन्दर	
(iv) नियत अवरोध अवधि (एक वर्ष में चार बार से अनाधिक)		
एक बार में अधिकतम अवधि	12 घंटे से अनाधिक	विलंब होने पर, रू. 100 प्रति दिवस (अथवा उसका अंश)

(v) मापयंत्र (मीटर) संबंधी शिकायतें		
निरीक्षण तथा शुद्धता जांच	सात दिवस में	विलंब होने पर, रू. 100/– प्रति सप्ताह (अथवा उसका अंश)
धीमें, रेंगते हुए या रूके हुए मापयंत्रों की प्रतिस्थापना	ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिवस में तथा शहरी क्षेत्रों में 15 दिवस की अवधि में	
जले हुए मापयंत्रों की प्रतिस्थापना, यदि इसका कारण उपभोक्ता पर आरोपित न किया गया हो	शिकायत प्राप्ति से 7 दिवस की अवधि में	
अन्य प्रकरणों में, जले हुए मापयंत्रों का प्रतिस्थापन	उपभोक्ता द्वारा प्रभारों के भुगतान के 7 दिवस की अवधि में	
(vi) नवीन संयोजन/संविदा मांग में वृद्धि/संविदा मांग में कमी हेतु आवेदन		
निम्न दाब प्रकरण में लक्ष्य से विचलन	जैसा कि इसे विनियमों के अध्याय 10 में अधिसूचित किया गया है	विलंब होने पर, रू. 100/– प्रति दिवस (अथवा उसका अंश)
उच्च दाब तथा अति उच्च दाब प्रकरण में लक्ष्य से विचलन	जैसा कि इसे विनियमों के अध्याय 10 में अधिसूचित किया गया है	विलंब होने पर, रू. 200/– प्रति दिवस (अथवा उसका अंश)
(vii) स्वामित्व अन्तरण तथा श्रेणी परिवर्तन		
स्वामित्व अधिकार का अन्तरण	जैसा कि इसे विनियमों के अनुच्छेद 14.1 में अधिसूचित किया गया है ।	विलंब होने पर, रू. 100/– प्रति दिवस (अथवा उसका अंश)
श्रेणी परिवर्तन	औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर, 10 दिवस में	
निम्न दाब एकल फेस से निम्न दाब तीन फेज एवं यथा विलोम (vice versa) रूपांतरण	प्रभारों के भुगतान की तिथि तथा परीक्षण प्रतिवेदन जमा करने की तिथि से 30 दिवस के अन्दर तथा यदि लाईन का विस्तार अपेक्षित हो तो 90 दिवस के अन्दर	

(viii) उपभोक्ता के देयकों से संबंधित शिकायतों का निराकरण		
यदि अतिरिक्त जानकारी अपेक्षित न हो, तो	शिकायतों का निराकरण शिकायत प्राप्ति के उसी दिवस को करना होगा (उच्च दाब उपभोक्ताओं को छोड़कर)	विलंब होने पर रू. 100/– प्रति दिवस (अथवा उसका अंश)
यदि अतिरिक्त जानकारी संग्रहीत की जाना हो, तो	शिकायत प्राप्त होने के उपरांत, शहरी क्षेत्रों में 5 दिवस के अन्दर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 10[1] दिवस के अन्दर	
(ix) असंयोजन के उपरांत विद्युत प्रदाय का पुनर्संयोजन		
नगर तथा शहर	उपभोक्ता द्वारा देय भुगतान की प्राप्ति से 4 घंटे के अन्दर	विलंब होने पर, रू. 100/– प्रति दिवस (अथवा उसका अंश)
ग्रामीण क्षेत्र	उपभोक्ता द्वारा देय भुगतान की प्राप्ति से 48 घंटे के अन्दर	
(x) अस्थाई संयोजनों की स्वीकृति		
निम्न दाब, उच्च दाब तथा अति उच्च दाब उपभोक्ता	जैसा कि इसे विनियमों के अनुच्छेद 13.1 तथा 13.2 में अधिसूचित किया गया है	विलंब होने पर, रू. 100/– प्रति दिवस (अथवा उसका अंश)

आयोग के आदेशानुसार

पी.के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव